Email

आदेश

विषयः– **अभियुक्त के जमानत के समय दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा–437(3) एवं 441 क का उपयोग एवं जमानत प्राप्त पेशेवर अपराधियों के जमानत रद्दीकरण के संबंध में ।**

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु लम्बित वाद में अभियुक्तों को जमानत एवं उस पर निर्णय अध्याय 33 में अंकित प्रावधानों के तहत धारा 436 से धारा 450 में विहित प्रक्रियानुसार किया जाता है। इनमें धारा 437 एवं 439 के तहत संज्ञेय अपराध में जमानत एवं धारा 441 में अभियुक्त और प्रतिभुओं के बन्ध पत्र की शर्तो के प्रावधानों का समावेश हैं, साथ ही सक्षम न्यायालय आवश्यक समझे जाने पर धारा 437(5) एवं 439(2) के तहत अध्याय 33 के अधीन जमानत पर छोड़े जा चुके व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है (जमानत का निरस्तीकरण)।

प्रायः यह देखने में आया है कि अपराधकर्मी एक काण्ड में जमानत मिलने के पश्चात् पुनः अपराध में संलिप्त हो जाते हैं एवं जमानत के प्रावधानों एवं बन्ध पत्रों की शर्तो का उल्लंघन करते हैं। ऐसे अपराधकर्मियों के विरूद्ध राज्य स्तर पर जमानत निरस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी जिला पुलिस द्वारा सक्रिय भागीदारी की जा रही है।

1. विधि निर्माताओं द्वारा भी समय के साथ–साथ यह अनुभव किया है, कि पेशेवर अपराधकर्मियों एवं जमानत उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता को अधिक मजबूत एवं जमानत के प्रावधानों को सख्त बनाने की आवश्यकता है, जिसका परिणाम दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2005 हैं, जिसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(3) को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :–

"437(3)–जब कोई व्यक्ति, जिस पर ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की या उससे अधिक की है, दण्डनीय कोई अपराध या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय 6, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, उपधारा (1) के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है, तो न्यायालय यह शर्त अधिरोपित करेगा :–

(क) कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बन्ध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा,

(ख) कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा, और

(ग) कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा,

और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्ते, जिसे वह ठीक समझे, अधिरोपित कर सकता है।"

यह प्रावधान इसलिए रखा गया है, ताकि अभियुक्त जमानत में रहने के दौरान कोई अन्य अपराध की घटना में संलिप्त न हों एवं बन्ध पत्रों की शर्तो का उल्लंघन न कर शर्तो का पालन करते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर नियमति रूप से हाजिर रहें। उल्लेखनीय है कि इस अध्याय

के अधीन निष्पादित बन्ध पत्र की शर्ते धारा 441 में उल्लेखित हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 2005 में हुए संशोधन से पूर्व इस धारा के अंतर्गत वर्णित शर्ते अधिरोपित करना सम्बन्धित न्यायालय के विवेक पर छोड़ा गया था, परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2005 के दिनांक 23.06.2006 से प्रभावी होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा ये शर्ते अधिरोपित किया जाना अनिवार्य किया गया है (इस धारा के अंग्रेजी अनुवाद में उक्त संशोधन के द्वारा *"the court may impose any condition which the court considers necessary"* के स्थान पर *"the court shall impose the conditions."* प्रतिस्थापित किया गया है।)

अतः वर्तमान परिवेश में पेशेवर अपराध कर्मियों की गतिविधियों पर अंकुश रखना, जिससे अपराध नियंत्रण में सक्रिय सहयोग मिले, के लिए आवश्यक है, कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के इस प्रावधान का समुचित उपयोग किया जाए।

2. इसी प्रकार, ऐसे भी वृत्तांत देखने में आते रहे हैं, जिनमें अभियुक्त के जमानत के समय उनके प्रतिभू (surety/Bailor) की सही प्रकार से पहचान नहीं होती है, 'अथवा' एक व्यक्ति विभिन्न काण्डों में कई अभियुक्तों के प्रतिभू बन जाते हैं (ऐसे लोगों को पेशेवर जमानतदार की संज्ञा भी दी जाती रही है), जिसका फल यह होता है कि जमानत पर छूटा हुआ अभियुक्त इन प्रतिभुओं के नियंत्रण में नहीं रहता है एवं जमानत एवं बन्ध–पत्रों की शर्तो का पालन सुनिश्चित कराना दुष्कर हो जाता है। ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा धारा 441 के पश्चात् **441क** अंतःस्थापित किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

"441 क प्रतिभुओं द्वारा घोषणा *– ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभू होता है, न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त भी है और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियाँ दी जाएँगी।*

इस प्रावधान का भी समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि, किसी अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने के अनुरोध की सुनवाई के समय जिला अभियोजन पदाधिकारी अथवा लोक अभियोजक द्वारा जमानत की सुनवाई करनेवाले न्यायालय के समक्ष **निम्न कार्रवाई की जाए :**

(क) अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का विधिसम्मत् एवं साक्ष्य आधारित विरोध किया जाए,

(ख) यदि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है तब न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि जमानत आदेश एवं बन्ध पत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा *437(3)* में उल्लेखित शर्ते भी अधिरोपित की जाएं ।

(ग) प्रतिभुओं से धारा 441क के तहत घोषणा पत्र की मॉग की जाए।

इस घोषणा पत्र के सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन न्यायालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाए।

निचली अदालत में पेशेवर कुख्यात अपराधकर्मियों को मिली जमानत की शर्तो का उल्लंघन करने पर उनका जमानत रद्दीकरण प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय, पटना में नियमानुकूल तरीके से धारा–439(2) द0प्र0सं के अन्तर्गत समर्पित किया जाना है। जमानत रद्दीकरण के प्रस्तावों का अनुश्रवण करने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि प्रधान अपर

महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं सम्बंधित सहायक लोक अभियोजकों से समन्वय स्थापित करते हुये जमानत रद्दीकरण के प्रस्ताव का अनुश्रवण की कार्रवाई करेगें।

सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया जाता है कि पेशेवर कुख्यात अपराधकर्मियों का मेरिट के आधार पर जमानत रद्दीकरण का प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस सह नोडल पदाधिकारी के माध्यम से भेजेंगे तथा उनके निदेशानुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे।

19/11/14
पुलिस महानिदेशक
बिहार, पटना।

पत्रांक 4753 /एक्स0एल0
एक्स0एल0(विविध) 120/2014
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 21/11/14

प्रतिलिपिः–

1. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।
3. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/11/14
पुलिस महानिदेशक
बिहार, पटना।